न्यायालय–सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद सं. 173/09 (255/14)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मंगलाराम पुत्र पन्नाराम, उम्र– वर्ष, जाति–विश्नोई, निवासी–परावा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर।		1. चुतराराम वल्द भागचंद 2. नैनू बैवा भागचंद 3. लाधूराम वल्द पन्नाराम, सभी जातियान–विश्नोई, निवासीगण–परावा, तहसील सांचौर, जिला–जालोर (राज.) 4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर 5. व्यवस्थापक– एस.बी.बी.जे बैंक, शाखा–सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज.काश्तकारी अधि.
सपठित धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितिः–

1. वकील श्री जालाराम पुनियां वादी की ओर से।
2. वकील श्री दिलीप कुमार विश्नोई प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से।
3. नायब तहसीलदार सांचौर राज पैरोकार।

निर्णय

दिनांक 14.11.17

1. वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम परावा, पटवार क्षैत्र परावा के पुराना खसरा नम्बर 502 रकबा 20 बीघा भूमि के द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1159 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1161 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 1153/1638 रकबा 0.08 हैक्टर, जुमले रकबा 3.24 हैक्टर का सृजन किया गया। जिसमें सभी भाईयों का बंटवाड़ा कर हम तीनो भाईयों को जमीन बंटवाड़े में दी गई। तब से हम अलग–अलग काबिज काश्त है लेकिन जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1160 का रकबा 0.01 हैक्टर दर्ज की है जबकि नक्शे में खसरा नम्बर 1160 को बड़े रकबे के रूप में दर्ज किया गया है। जमाबन्दी व ट्रेस नक्शा में भूमि बराबर दर्ज की जाकर बंटवाड़ा किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 नें दिनांक 06.06.2012 को राजीनामा पेश किया जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2012 को राजीनामा तस्दीक किया गया। तथा वादी मंगला व प्रतिवादी चुतरा व नेनू को वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से माफिक राजीनामा खातेदार घोषित किया गया तथा मौके पर खातेदारो के काबिज काश्त अनुसार मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार पर बंटवाडे की प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा मौके पर राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में अंकित खसरा व रकबे की स्थिति की रिपोर्ट भी पालना रिपोर्ट में अंकित करते हुए पेश करने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार चितलवाना नें अपने पत्र क्रमांक 407 दिनांक 17.03.2017 को प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाड़े के प्रस्ताव तैयार कर पेश किए तथा जाहिर किया कि बंटवाड़ा अनुसार व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार काश्तकार काबिज काश्त है तथा इस प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने हेतू सभी खातेदार सहमत है।
3. दोना पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई जिन्होने जाहिर किया कि तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही है, उक्तानुसार बंटवाड़े की अन्तिम डिक्री जारी की जावें।
   तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव पेश किए।
   1. प्रतिवादी चुतरा पुत्र भागचंद व नेनू बैवा भागचंद का खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1159 में से रकबा 1.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम के हिस्से कब्जे में आयी हुई है, जो नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।
   2. प्रतिवादी लादूराम पुत्र पन्नाराम का खसरा नम्बर 1159 में से रकबा 0.29 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1161 में से रकबा 0.70 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1153/1638 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम जुमले रकबा 1.08 हैक्टर में कब्जा काश्त है, जो नक्शे में पीला रंग से दर्शाया है।
   3. वादी मंगला पुत्र पन्ना का खसरा नम्बर 1161 में से रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम जुमले रकबा 1.08 हैक्टर में कब्जा काश्त है जो संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

   उक्तानुसार तहसीलदार चितलवाना नें बंटवाड़ा के प्रस्ताव पेश किए।

4. हमनें पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का अध्ययन अवलोकन किया तथा विभाजन के प्रस्ताव व उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया। दोनो पक्षो नें उक्त प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की सहमति जाहिर की, कोई उजर पेश नही किया।

कार्यालय सहायक कलेक्टर, चितलवाना, जिला-जालोर

सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

अतः तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा के प्रस्ताव में अंकित भूमि का क्षैत्रफल, लगान अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है।

1. ग्राम परावा के खेत खसरा नम्बर 1161 में से रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म चाही दायम जाव दोयम जुमले रकबा 1.08 हैक्टर भूमि जो संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग अनुसार वादी मंगला पुत्र पन्ना के बंट में रखी जाती है।
2. ग्राम–परावा के खेत खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1159 में से रकबा 1.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम जो नक्शे में लाल रंग में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी चुतरा पुत्र भागचंद व नेनू बैवा भागचंद के बंट में रखी जाती है।
3. ग्राम–परावा के खेत खसरा नम्बर 1159 में से रकबा 0.29 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1161 में से रकबा 0.70 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1153/1638 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम जुमले रकबा 1.08 हैक्टर जो नक्शे में पीला रंग से दर्शाये अनुसार भूमि प्रतिवादी लादूराम पुत्र पन्नाराम के बंट में रखी जाती है।

उक्तानुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार चितलवाना उक्त आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख एंव नक्शा ट्रेस में अमल दरामद तरमीम कर खातों का जमाबन्दी में अंकन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें।

कार्यालय सहायक कलेक्टर चितलवाना, जिला जालोर

14.11.17
(मुरारीलाल शर्मा)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना (उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

निर्णय आज दिनांक 14.11.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.11.17
(मुरारीलाल शर्मा)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना (उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर जिला जालोर।

इजलास श्री मुरारीलाल शर्मा (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद सं. 173/2009 (255/14)

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
मंगलाराम पुत्र पन्नाराम, उम्र– वर्ष, जाति–विश्नोई, निवासी–परावा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर।		1. चुतराराम वल्द भागचंद 2. नैनू बैवा भागचंद 3. लाधूराम वल्द पन्नाराम, सभी जातियान–विश्नोई, निवासीगण–परावा, तहसील सांचौर, जिला–जालोर (राज.) 4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर 5. व्यवस्थापक– एस.बी.बी.जे बैंक, शाखा–सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्तकारी अधि. 1955
सपठित धारा 136 आर.एल.आर एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री जालाराम पुनिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी सं. 1 व 3 की और से वकील श्री दिलीप कुमार विश्नोई तथा प्रतिवादी सं. 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर राज पैरोकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा के प्रस्ताव में अंकित भूमि का क्षैत्रफल अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम परावा के खेत खसरा नम्बर 1161 में से रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म चाही दायम जाव दोयम जुमले रकबा 1.08 हैक्टर में कब्जा काश्त है जो संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग अनुसार वादी मंगला पुत्र पन्ना के बंट में रखी जाती है खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1159 में से रकबा

कार्यालय सहायक कलेक्टर ... चितलवाना, जिला जालोर

सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

1.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, के हिस्से कब्जे में आयी हुई है, जो नक्शे में लाल रंग में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी चुतरा पुत्र भागचंद व नेनू बैवा भागचंद के बंट में रखी जाती है तथा ग्राम–परावा के खेत खसरा नम्बर 1159 में से रकबा 0.29 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1161 में से रकबा 0.70 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1153/1638 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम जुमले रकबा 1.08 हैक्टर जो नक्शे में पीला रंग से दर्शाये अनुसार भूमि प्रतिवादी लादूराम पुत्र पन्नाराम के बंट में रखी जाती है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....14........ माह....11...... 20.17.......... को जारी की गई।

14-11-17

मोहर

सहायक कलेक्टर
चितलवाना

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	2	00	स्टाम्प वकालातनामा	–	
स्टाम्प वकालातानामा	25	00	स्टाम्प अरजी	–	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि''नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुकमनामा		
बाबत् ईजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान...............	27	00	मीजान..............	00	

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरफरीकान का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए .

कार्यालय सहायक कलेक्टर, [illegible], जिला-जालौर